न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 171/2016/डिक्री

रूकमणी देवी पुत्री गोवर्धन दास पत्नि प्रेमदास वैष्णव बैरागी
निवासी गांव चौथपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. समस्त ग्रामवासियान ग्राम चौथपुरा जरिये प्रतिनिधि –
   1. चतरसिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत
   2. सज्जन सिंह पिता फतहसिंह राजपूत
   3. हरिराम पिता फत्ता पुर्बिया
   4. अमरा पिता भेरा गाडरी
   5. लालसिंह पिता जगसिंह राजपूत
      सभी निवासी चौथपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 11.05.2016 प्रकरण सं. 228/2011

उपस्थित – 1. श्री राजेन्द्र राजोरा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 ने वादीगण बनकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध ग्राम चौथपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आ.न. 28,29,30,31,32 कुल रकबा 1.75 है0 (जिसके पुराने आ.न. 44,45,46 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा) के बारे मे धारा 88,89,188 रा.टिनेन्सी एक्ट का वाद प्रस्तुत किया जिसमे जवाब दावा पेश होने के बाद पत्रावली आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की बह समे नियत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना वाद पत्र की पेशी दिनांक 11.05.2016 राजस्व कैम्प कोर्ट सेमलिया मे नियत कर अपीलान्ट को बिना सुने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर कानून के विपरीत डिक्री कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्ट द्वारा जवाबदावा तारीख दिनांक 28/11/11 को पेश किया गया जिस पर पत्रावली तनकीयात हेतु नियत की गई जिसके बाद अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13/08/2012 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11/05/2016 को अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये कैम्प कोर्ट सेमलिया मे पत्रावली नियत कर दी और अपीलान्ट को बिना सुने तथा रेस्पोडेन्टस से मिलीभगत कर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री कर दिया जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र बतौर प्रतिनिधिी होना बताकर वाद पत्र पेश किया लेकिन वाद पत्र के साथ धारा 91 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र बतौर ईजाजत हेतु पेश नही किया तथा बिना परमिशन वादपत्र को दर्ज कर लिया तथा जनहित मे आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 के तहत नोटिस दैनिक अखबार मे नही प्रकाशित कराये गये इस प्रकार प्रस्तुत वाद पत्र धारा 91 जा0दी0 एवं आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 की पालना नही होने से निरस्त योग्य था लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र को कानूनी प्रक्रिया की कमी होते हुये भी वाद खारीज करने मे वैधानिक भूल की है। वादीगण ने वाद पत्र धारा 89,88 राजस्थान काश्तकारी एक्ट के तहत पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 राज. सरकार व उपपंजीयक चित्तौडगढ को पक्षकार बनाया एवं सरकार के विरूद्ध अनुतोष चाहा लेकिन वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राज. सरकार को विधिवत 2 माह का नोटिस जारी नही किया तथा वाद पत्र के साथ धारा 80(2) जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत नही किया जिससे भी प्रस्तुत वाद पत्र नोटिस के अभाव मे चलने योग्य नही है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट का उसके बाप–दादाओ के समय से विरासती कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट का कब्जा 12 वर्ष से अधिक पुराना होने से वादिया कानूनन खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे विवादित आराजी को श्री चारभुजा नाथ मन्दिर की भूमि होना मान खडमदार पुजारियो का अधिकार सरकुलर दिनांक 13/12/1991 क्रमांक राजस्व/क.214/रा./4/90/37 के आधार पर अपीलान्ट के पूर्वजो को बिना किसी आधार के खडमदार होना मान लिया जबकि खडमदार एवं पुजारी का अंतर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत समझ लिया और उक्त सरकुलर के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री करने मे वैधानिक भूल की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पेरा 9 अनुसार बिनायदावा दिनांक 18/08/1966 होना बताकर वाद पत्र को अन्दर मयार होना वाद पेरा 14 मे अंकित कर दिया जबकि बिनायदावा से वाद पत्र मयाद बाहर पेश हुआ है जिससे भी

वाद पत्र मयाद के बिन्दू पर भी खारीज होते हुए भी वाद पत्र को डिक्री करने मे विधिक त्रुटि की है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11/05/2016 खारीज फरमाई जावे एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु अपील प्रति प्रेषित फरमाई जावे एवं उचित दाद दिलाई जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि संवत् 2022–23 मे गंगादास जो दादा बा थे वे खडमदार थे जो मन्दिर की सेवा पूजा करते थे। जिसके कारण राजस्व ग्राम चौथपुरा तहसील चित्तौडगढ के पुराने खसरा नम्बर 44,45,46 कुल किता 3 तथा नये नम्बर 28 से 32 कुल किता 5 रकबा 1.75 है0 भूमि सेवा पूजा से उन्हे मिली हुई थी। नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 18/08/1966 को उनके नाम से खातेदारी दर्ज है। उनके लाऔलाद फौत होने के कारण उनके भतीजे गोवर्धनदास के नाम नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 28/05/1992 के द्वारा इंतकाल खुल गया। उनकी मृत्यु के पश्चात् पुत्री रूकमणी के नाम विरासत इंतकाल खुल गया। इस सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के जवाब आने के पूर्व ही कैम्प मे दिनांक 11/05/2016 को पत्रावली लगा दी गई एवं प्रतिवादी को कोई सूचना दिये बिना फैसला कर दिया। इस प्रकरण मे धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस भी नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 का हवाला देते हुए वाद खारीज करते हुए विवादग्रस्त 1.75 है0 भूमि श्री चारभुजाजी स्थानदेह चौथपुरा के नाम खातेदारी घोषित कर दी गई है जो विधिसम्मत नही है। अपीलान्ट के वकील द्वारा निम्न नजीरे पेश भी पेश की गई है – आरआरडी 2000 पेज 16,17, आरआरडी 2000 पेज 570, आरआरटी 17(2) आरबी पेज 1074, आरजेटी 17(1) 2001 पेज 617, डीएनजे 11(3) राज. पेज 1200, आरआरटी 12(2) आरबी पेज 1283 आदि नजीरे पेश की है। इस प्रकार बहस करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने की मांग की गई।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे ग्रामवासियो की ओर से पेश हुआ। यह मन्दिर श्रीचारभुजा की भूमि है। श्री गंगादास मात्र पूजारी है जिन्हे खातेदारी नही दी जा सकती है। उनके देहावसान पर

विरासती इंतकाल दर्ज हो गया जिसके कारण मन्दिर की भूमि निजी व्यक्ति की खातेदारी भूमि के रूप मे दर्ज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु ही परिपत्र दिनांक 13/12/1991 जारी किया है। मन्दिर मूर्ति एक परपेच्युल माईनर है जिसके अधिकारो की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मन्दिर पूजारी मात्र मैनेजर होता है। धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस इस प्रकरण मे लागू नही होता है क्योकि राज्य सरकार से कोई विशिष्ट रिलीफ नही चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत वाद दर्ज कर देना का आदेश जारी करना पर्याप्त है तभी दावा दर्ज हुआ है। उन्होने आरआरटी 2014 पार्ट 1 पेज 482, आरआरटी 2010 पार्ट–2 पेज 1273, आरआरडी 1995 पेज 418 तथा आरआरडी 1998 पेज 405 की नजीरे पेश की है तथा मांग की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलार्थी खारीज होने योग्य है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो का अवलोकन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार मन्दिरो के अधीन भूमियां मन्दिर मूर्ति के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के सम्बन्ध मे स्थायी आदेश जारी किये है ताकि मन्दिरो का रख–रखाव हो सके। ऐसी भावना के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय परिपत्र दिनांक 13/12/1991 की पालना मे वाद निर्णित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 228/2011 मे पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांकः 11/05/2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ